

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2019/9327-70 जयपुर, दिनांक 6.11.2019

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2019 (संवत् 2076) में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 18 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 दिसम्बर, 2019 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिला	बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	154
2.	बांसवाड़ा	1532
3.	भीलवाड़ा	748
4.	बारां	1085
5.	बूंदी	689
6.	चित्तौड़गढ़	1306
7.	धौलपुर	57
8.	डूंगरपुर	1011
9.	झालावाड़	1622
10.	जोधपुर	7
11.	कोटा	887
12.	करौली	20
13.	नागौर	49
14.	पाली	170
15.	प्रतापगढ़	1013
16.	सवाईमाधोपुर	17
17.	टोंक	580
18.	उदयपुर	1996
योग		12943

राज्यपाल की आज्ञा से,

सिद्धार्थ (सिद्धार्थ महाजन) 6/11/19
शासन सचिव

(51)